राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

(राज्य सरकार का उपक्रम)
वित्त भवन,(डी–ब्लॉक,प्रथम तल) जनपथ, विधान सभा के पास, जयपुर–302005
(फोन नं0 0141–2744239, फैक्स नं0 2744237)
web- www.rajexcise.gov.in, email- ed.rsbcl@rajasthan.gov.in
CIN: U15511RJ2005SGC020336

क्रमांकः F.1(248)/RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2021–22/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

निगम द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 6743 दिनांक 30.09.2021 तथा निगम के पत्रांक 6853 दिनांक 04.10.2021 के संबंध में प्राप्त आवेदन के क्रम में निगम में प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु साक्षात्कार उपरांत, साक्षात्कार समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्न कार्मिको का चयन सूचना सहायक पद पर किया जाता है। चयनित कार्मिको को निर्देशित किया जाता हैं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में 15 दिवस में प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत निगम मुख्यालय के अग्रिम निर्देशानुसार ही पैतृक विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम	पद	पता	पैतृक विभाग
1	श्री गौरव शर्मा	सूचना सहायक	संयुक्त निदेशक जिला कार्यालय सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, चुरू	सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर
2	श्री संतोष कुमार मीणा	सूचना सहायक	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 बाड़मेर	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जोधपुर
3	श्री निश्चय गहलोत	सूचना सहायक	बीकानेर तकनीकी विश्वविधालय करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया,, पुगल रोड बीकानेर	सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर
4	श्री रवि प्रकाश जाखड़	सूचना सहायक	प्राचार्य राजकीय महाविधालय निवाई टोंक	सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान जयपुर

प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण निम्न शर्तो के अधीन होगाः

1. चयनित कार्मिक की गत सात वर्षो की सेवाए संतोषजनक है।
2. कार्मिक को राजस्थान सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत दण्डित नहीं किया गया है।
3. वर्तमान में कार्मिक के विरूद्व जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
4. सम्बन्धित कार्मिक के पैतृक विभाग को उक्त कार्मिक की निगम में प्रतिनियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है एवं कार्मिक विधिवत कार्यमुक्त होकर इस निगम में कार्यग्रहण करेगा।
5. प्रतिनियुक्ति स्वयं के आवेदन पत्र के आधार पर की गई है, अतः उक्त कार्मिको को यात्रा भत्ता देय नही होगा।
6. आवेदन पत्र में दी गई सूचना का प्रमाणिक अभिलेखो से सत्यापन कराने के उपरांत ही कार्मिक को चयनित पद पर कार्यग्रहण करने की अनुगति प्रदान की जावेंगी। इस संदर्भ में मूल पद, पद का वेतन एवं ग्रेड पे का प्रमाणीकरण सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष से करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. उक्त चयनित कार्मिको की सेवाएं असंतोषजनक पाये जाने, पद रिक्त नहीं होने अथवा अन्य प्रशासनिक कारणो से निगम कभी भी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(सुखवीर सैनी)
कार्यकारी निदेशक

क्रमांकः F.1(248)/RSBCL/प्रशासन/संस्थापन/2021-22/7847 दिनांक : 08.11.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, RSBCL, जयपुर।

2 निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक, RSBCL, जयपुर।

3 महाप्रबन्धक(ऑपरेशन)/(वित्त एवं लेखा)/(प्रशासन), RSBCL, जयपुर।

4 उपमहाप्रबन्धक (एम.आई.एस), आर.एस.बी.सी.एल., मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

5 सम्बन्धित कार्मिक के पैतृक विभाग...।

6 वर्तमान पदस्थापन विभाग..।

7 सम्बन्धित श्री ....को पालनार्थ।

8 रक्षित पत्रावली।

(रामबाबू अग्रवाल)
प्रबन्धक (प्रशासन)